लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स कुंदन कुमार, पिता–श्री मनमोहन यादव, ग्राम+पो0+थाना–पूरबसराय, जिला–मुंगेर द्वारा बदुआ नदी स्थित सहोरा बालू घाट (क्षेत्रफल 5.58 हेक्टेयर), मौजा–सहोरा, प्रखंड–संग्रामपुर, जिला–मुंगेर में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 02.03.2024 को अपराह्न 01:30 बजे प्रखंड समागार संग्रामपुर, जिला–मुंगेर** के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/ 2472/2023, दिनांक 10.09.2023 के आलोक में अनिल कुमार झा, अपर समाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– "दैनिक जागरण" एवं "दैनिक भास्कर", भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक **01.02.2024** को प्रकाषित की गयी है। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस0 एन0 झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुशेध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शत्रुघन प्रसाद ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा बदुआ नदी स्थित सहोरा बालू घाट (क्षेत्रफल 5.58 हेक्टेयर), मौजा–सहोरा, प्रखंड–संग्रामपुर, जिला–मुंगेर में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री कुंदन कुमार को इस खनन पट्टा के लिए वैधन्तिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा सहोरा बालू घाट में प्रतिवर्ष 53568 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹75.13 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के सहोरा बालू घाट को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए है।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध–मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर–लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री लालू चौधरी, सोहरा, संग्रामपुर, मुंगेर के द्वारा नियमानुसार खनन कराये जाने का अनुरोध करते हुए परियोजना का समर्थन किया गया।	
2.	श्री आदित्य कुमार चौधरी, सोहरा के द्वारा खनन गतिविधि से बांध की सुरक्षा के बारे में पुछा गया।	खनन निर्धारित खनन क्षेत्र में ही किया जायेगा तथा बांध से उचित दूरी का ख्याल रखा जायेगा।
3.	श्री सुमित कुमार, पृथ्वीचक, संग्रामपुर, मुंगेर के द्वारा पुछा गया कि बालू का ढुलाई कैसे किया जायेगा।	नदी से बालू निकालकर सेकंडरी प्वाइंट पर रखा जायेगा। बालू सूखने के उपरांत गाड़ियों में लोड करके गंतव्य स्थल पर भेजा जायेगा।
4.	श्री दयानंद यादव, पृथ्वीचक, मुंगेर के द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित जानकारी मांगी गई तथा अनुरोध किया गया कि वृक्षों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाय।	प्रस्तावित परियोजना में प्रति हेक्टेयर 10 वृक्ष की दर से 60 वृक्ष लगाये जाने का प्रस्ताव है। ग्रामीणों से विमर्श कर उपलब्ध स्थानों पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाये जा सकते हैं।
5.	श्री देव कुमार, सोहरा, मुंगेर के द्वारा धूलकण उड़ने से रोकने के उपायों की जानकारी मांगी गई।	बालू लदे गाड़ियों को ताश्पोलिन शीट से ढक कर ले जाया जायेगा, ओवरलोडिंग नहीं कराया जायेगा, पहुंच पथ पर नियमित रूप से जल छिड़काव तथा पहुंच पथ के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण का कार्य कराया जायेगा।

लोक–सुनवाई में उपस्थित संवेदक के द्वारा नियमानुसार तथा प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपायों का अनुपालन करते हुये खनन करने का आश्वासन दिया गया।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता–सह–सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

2-3-2024

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद,
भागलपुर।

2/3/24

अपर समाहर्ता
(लोक शिकायत निवारण)
मुंगेर।

उपस्थिति सूची

मेसर्स कुंदन कुमार, पिता-श्री मनमोहन यादव, ग्राम+पो०+थाना-पूरबसराय, जिला-मुंगेर द्वारा बदुआ नदी स्थित सहोरा बालू घाट (क्षेत्रफल 5.58 हेक्टेयर), मौजा-सहोरा, प्रखंड-संग्रामपुर, जिला-मुंगेर का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.03.2024 को अपराहन् 01:30 बजे लोक सुनवाई का स्थलः प्रखंड सभागार संग्रामपुर, जिला- मुंगेर में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Anil Kr. Jha	ADM (PGRO) - cum - DPGRO	[signature] 2/3/24
2.	Shambhu Nath Jha	Regional officer Bhagalpur Bihar State Poll. Control Board	[signature] 2-3-2024
3.	Randheer Kumar	MDO, Munger	[signature] 02/03/2024
4.	Ajit Kumar	BDO, Sangrampur	[signature] 2/3/24
5.	Anish Kumar	Asst. Scientific officer BSPCB, Bhagalpur	[signature] 02/03/2024
6.	Shatrughan Prasad	Oceao - Enviro	S. Prasad 02/03/2024
7.	[illegible] अधिवक्ता	पुरबसराय	[signature]
8.	सच्चिदानन्द सुमन [illegible]	मुंगेर	[signature]
9.	अरुण कुमार	पुनसिया	अरुण कुमार
10.	श्याम सिंह	सहोरा	श्याम सिंह

11.	मांगु चौधरी	सहोड़ा	मांगु चौधरी
12.	रविशंकर कुमार	सहोड़ा	[illegible]
13.	सुमित कुमार	सहोड़ी	Sumit Kumar
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	मनोज कुमार	पृथ्वीचक	मनोज कुमार
16.	शिवशंकर	माईल	रवरवा
17.	Abhinash Singh	Dhayni	Abhinash Singh
18.	Chhotu singh	Sahora	Chhotu
19.	बहादुर यादव	खरवा	बहादुर यादव
20.	ध्रुव कुमार सिंह	सहोरा	ध्रुव कुमार सिंह
21.	जीतेन्द्र कुमार	खेरन	जीतेन्द्र कुमार
22.	Sujit Kumar	Madhura	Sujit Kumar
23.	देव कुमार	मधुरा	Deo Kumar
24.	शांती कुमार	पृथ्वीचक	Santi Kumar
25.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

26.	Utt sau	सोनाडा	Ramdeo Kumar
27.	Lucho mokhary	सोहडा	Lucho m[illegible]
28.	सुरेश कुमार	सहोडा	सुरेश कुमार
29.	योगेन्द्र कुमार	[illegible] कुमार	[illegible]
30.	शैलेश राम	नरायुर [illegible]	Shailesh
31.	अखिल कुमार	संग्रामपुर	[illegible]
32.	मिथलेश यादव	पतलाघर	मिथलेश यादव
33.	सतीश कुमार		सतीश कुमार
34.	Gautam Kumar	जगन्नाथपुर	Gautam
35.	सौरव कुमार	प्रतीचक	Saurav Kumar
36.	मुकेश कुमार	ओका	मुकेश
37.	Md Shamim	BSPCB, Patna	[illegible]
38.			
39.			
40.			